ग्राम पंचायत कोठूवाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोठूवाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रीता ठाकुर	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री अनिता देवी	23.1.16 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01.04.14 से 10.12.14
2	श्री रणजीत सिंह	11.12.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत कोठूवाँ के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.35

2	4.2	बैंक खातों तथा रोकड़ बही का मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.39
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	16.05
5	9	औपचारिकताओं के बिना क्रय	1.73
6	10	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	2.77

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कोठूवाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार क0ले0प0 द्वारा दिनांक 3.11.17 से 8.11.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/15	01/15
2015–16	09/15	03/16
2016–17	03/17	03/17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कोठूवाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 8.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कोठूवाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 से सम्बन्धित सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ बही में दर्ज किया गया था तथा प्राप्तियाँ तथा भुगतान एक ही बैंक खाते के माध्यम से किये गए और नियमानुसार एवं स्त्रोत तथा अनुदानों का पृथक लेखा नहीं रख गया, जिसके कारण स्वः स्त्रोत तथा अनुदानों की अलग–2 वित्तीय स्थिति नहीं बनाई जा सकी, यद्यपि ग्राम पंचायत कोठूवाँ की संयुक्त वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

परिशिष्ट–1

		प्राप्तियाँ		कुल योग		भुगतान/व्यय	योग	अन्तशेष
वर्ष	अथशेष	स्वःस्त्रोत	अनुदान		स्वःस्त्रोत	अनुदान		
2014–15	627186.5	29019	1677335	2333540.5	79881	1434051.50	1513932.50	819608
2015–16	819608	27878	2076421	2923907.00	89645	1973733.00	2063378.00	860529.00
2016–17	860529	48624	3789878	4699031.00	69550	3114906.00	3184456.00	1514575.00

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹0.35 लाख का अन्तरः–

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	1514575.00
दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों का शेष (संलग्न विवरण **परिशिष्ट–II**)	1549743.00
अन्तर (1549743–1514575)	₹35168.00

समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों में रोकड़ बहियों की तुलना में ₹35168 अधिक जमा पाये गए तथा अन्तशेष का मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001 दिनांक 7.11.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया। अतः मिलान अतिशीघ्र किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत कोठूवाँ की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ

मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाए।

5 पचांयत राजस्व ₹0.39 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत राजस्व/स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹39250 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹16.05 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–I** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1605449 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

8 बिजली के बिल के साथ किए गए सरचार्ज का अनियमित भुगतानः–

चयनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 27 मास 01/15 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को खाता संख्या KTC-231 के बिल संख्या 390599 ₹4170 का भुगतान किया गया। बिल की देय तिथि 29.12.14 थी जबकि यह भुगतान दिनांक 8.1.2015 को किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विलम्बित भुगतान के कारण ₹84 का भुगतान सरचार्ज के रूप में किया गया, जिसे पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः इसके लिए दायित्व निर्धारित करते हुए, इसकी वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.73 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं (निविदाएँ इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–IV** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹173009 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 ₹2.77 लाख की क्रय सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धी औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–V** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹276724 की क्रय की सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ नियमानुसार

भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

11 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा अनुरक्षित माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पचांयत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई विकासात्मक कार्यों की प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) स्टेशनरी रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

15 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत कोठूवाँ के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 45/2017–खण्ड–1–2872–2875 दिनाँक 26.04.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कोठूवाँ विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881